न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 170/2022

1 रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल जाति खटीक निवासी सैन्ट्रल स्कूल के पास गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र पोलाराम जाति मेघवंशी निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 27.06.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के उनवानी प्रकरण मदनलाल बनाम रामस्वरूप आदि प्रकरण संख्या 127/2019 वाद बाबत विभाजन को अपास्त व निरस्त किया जाने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 127/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 24.06.2019 को एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया था कि भूमि खसरा नम्बर नया 1508/143 रकबा 0.47 हैक्टेयर ग्राम चॅवरा की सरहद में स्थित है उक्त भूमि में वादी का 17/47 हिस्सा व अपीलार्थी का हिस्सा 30/47 दर्ज रिकार्ड है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमियों का मौखिक बॅटवारा कर रखा है। मौखिक बंटवारे के अनुसार ही लांट बांट करते चले आ रहे है, लेकिन भूमि का विधिवत विभाजन आज तक नहीं किया गया है इस प्रकार वाके ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1508/143 रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि में वादी का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा 17/47 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 30/47 कब्जे व हिस्से के अनुसार रास्ते का प्रावधान करते हुये विधिवत विभाजन कर खाता व लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे। जिस पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तलबी जारी करके आगामी तारिख पेशी दिनांक 10.07.2019 की नियत की गई, जिसक बाद प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशी नियत की जाती रही लेकिन प्रतिवादी की तलबी हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इसके पश्चात दिनांक 27.06.2022 को विचारण न्यायालय ने बिना किसी सूचना के तथा बिना अपीलार्थी की तामील हुए ही उनकी उपस्थिति के बिना प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव की डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों की ओर से विभाजन का अलग–अलग वाद प्रस्तुत किया गया था। दोनों वाद तलबी में चल रहे थे। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को सुने बिना, सहमति प्राप्त किये बिना दोनों दावों को कन्सोलिडेट कर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सहमति से दोनों दावों को समेकित किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। सहमति से पारित डिक्री की अपील धारा 96 (3) के अनुसार पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों की ओर से विभाजन का अलग–अलग वाद प्रस्तुत किया गया था। दोनों वाद तलबी में चल रहे थे। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को सुने बिना, सहमति प्राप्त किये बिना दोनों दावों को कन्सोलिडेट कर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)